(3)

25-8-21 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है जिसके कारण यह प्रा० पत्र सारहीन हो चुका है। सारहीन होने से प्रा०प० खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(मु०डी० खान)
कमलेश बंजारा
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
कलैक्ट्रेट, झुन्झुनूं